#### कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग बड्कोट

पत्रांक **१५'7५**/4 भू०अ० सेवा में, दिनांक 14/ 09/2017

प्रभागिय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बडकोट,उत्तरकाशी

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत बडकोट तिलाडी हल्का वाहन मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन करना एंव जामरीकरण कार्य हेतु ।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक 3030 / 12-1(1) दिनांक बडकोट 22.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक में भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यलय द्वारा ई0डी0क्वेरी दिनांक 19.06.2017 का बिन्दुवार 1-4 निराकर

#### नियवत है

querry	Shortout querry by user agency	
1-the proposal mention that the proposal is not likely to	The project generate permanent/regular employment (no of	
Generate any employment .thisseems unlikely and may be	Person)=35 and temporary employment (no of person)-450 ,also	
reviewed	In update no of employment generate in online file in E. point	
2- the note containing justification for locating the project in	the note containing justification for locating the project in	
Forest land does not specify the justification the particular	Forest land in annuxure no -11 also update in online file in point	
proposal	No-D –(I) and also submitted in hard copy for nodel office and	
	bharat sarkar in medium of dfo barkot office level submitted.	
3-the area propose for diversion when seen on google earth	In online point B-b-(1) the option of submit pdf does not seen in	
seem to have existing road .it may be explained if diversion of	online file so the querry submitted in additional annuxure or also	
the land under forest ( conservation)act was sought before	submitted in hard copy in medium of dfo barkot level, short out	
construction of the existing road	queery -the road is existing L.V road and proposed to be	
	Upgraded to motar road by uttrakhand govt.and diversion of this	
	land under forest conservation act 1980 was sought vide nodel	
	officer and chief conservator van circle uttar pardesh ,lucknow	
	L-118/14-3-1990 van anubhag-3 (in annuxure no  ) attached	
	hard copy	
4-the fRA certificate of Dm states the date of meeting of DLC	The date of gram sabha in FRA certificated mentioned is	
09-12-2014 While the gram sabha date has been mentioned as	19-01-2015 and subdivisional is 19-01-2015 and DM certicate is	
19-07-2015 the meeting of DLC could not have proceeded	02-02-2015 ,Corrected FRA uploaded in part- 1 .and the original hard	
gram sabha meeting .this may be reviewed.	copy Of FRA has been submitted already in previous querry by user	
	agency medium of DFO barkot uttarkashi level to the nodel Office	
	,hence the original FRA of coloured copy has been submitted by user agency at dfo office	
	agency at the office	

अतः आपसे अनुरोध है कि बिन्दु संख्याः 14पर कार्यलय अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण,इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड, द्वारा लगाई गई आपत्तियों का अपने स्तर से निराकरण करते हुए प्रस्ताव पर आनलाइन आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेगें साथ ही प्रस्ताव की coloured original hard copy FRA मूल में भारत सरकार को प्राप्त कराने हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलगन:-- उपरोक्तानुसार-4 coloured original hard copy of FRA

अधिशासी अभियन्ता जिम्मीण खण्ड लो०नि०वि०

पत्रांक

/4 भू०अ०

ंदिनांक / 09/2017

प्रतिलिपि:-

सहायक अभियन्ताआ तृतिय का सूचनार्थ व अग्रिम आवाश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बडकोट II NYK

परियोजना का

जनपद उत्तरकाषी में विकास खण्ड नौंगांव के अन्तर्गत बडकोट तिलाडी हल्का वाहन मोंटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन करना एंव उामरीकरण कार्य हेतु (लम्बाई 2.00 कि0मी0) 0.553 है0 वन भूमि का वन संरक्षण (अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 बडकोट को प्रत्यावर्तन ।

### प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मार्ग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।

Presently the road is light vechile road and it connect nagar palika barkot to naugaun –pounti-rajgarhi – sarnol motar road and connects more than 200 villages of banal patti ,the mani mandi/marketing centre of villages are barkot and also distt. Head quarters uttarkaswhi and also yamnotri dhaam.it is shortest route to connect banal patti to barkot and mostly used by villages for communication.the road is constructed light vehicle road and after increasing density of traffic its is required to connect this L.V.R to motar road so that heavy vehicle can also utilize this road and being shortest route saving of timed and fuel etc. transportation and charges helps upliftmant of ecnomy of villages ,present time the heavy vehicle can not through Naugaun and 15 km extra length and traffic jaam problem at Naugaun, the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further, due to non—existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and aggriculture. The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Haldi, Adrak, Mirch, Lehsoon, Dhan, Aaloo Etc. on their feet or by mules to the near by market.

If the road connectivity is provided to the villagers it shall enhance the social and economical development of this area and migration of the people from the village shall be minimized. The forest land area falling in the proposed aligement of the road witch is about 0.553 Hectare has been surveyed to the minimum and also the aligement of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree falling. Other than the proposed aligement for the road, there is no such aligement which shall reduce the diversion of forest area or falling of trees. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00 mtr and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological investigation along the proposed aligement has been carried out wich also states that the proposed aligement of the road is safe for the construction. There are no graveyards, religious, historical/monumental or legendary places falling in the proposed aligement of the road.

In view of the above facts and public intrest ,it is requsted that the forest land area of **0.553 Hectare** may kindly be diverted for the construction of the road.

3

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड,लोठनिठविठ बुड़कोद, उत्तरकाशी

अधिशासी अभिन्ता निर्माण खण्ड, लोठनिठविठ बड़कोट (उत्तरकाशी)

NO- 118 /14-3- 1990.

वेषक,

त्री एम०भी० धिलि यान, विशेष गचिन, उत्तर प्रदेश जासन ।

तेवा भे,

नो जल अधिकारी एवं वन तरधक, वन उपयोग वृत्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन अनुकाग-3

वर्षाट - तलाड़ी शंबेर गर्न

ल्यनः / दिनांक / 27 जनवरी, 1990

†qqq:-

सार्वजनिक जिम्पानियाण को वत शूमि निःशुलक हत्तान्तरण को अनुमालिहा

महोद्य,

पुद्रा यह होने का निर्देश हुआ है कि भी राज्यपाल, हार्वजनिक निर्माण जीवन को सेलगन विवरण के अनुसार वन भूमि के निःशुल्ज हहता स्तरण की निम्न शती पर अनुमति चुदान करते हैं:-

81.8

वह उन्त भूमि का उपयोग केवल कर्यत प्रयोजन हेतु हो विधा करेगा तथा ह उन्त भूमि अथवा इसके जिल्लो भाग को जिस्सी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्तियों को हत्तान्तरित नहीं करेगा ।

121

सार्वजनिक निम्मण विभाग के अधिकरों, कर्मबारी अथवा ठेकेंद्रास या उपते व्यक्तियों के अधीन या उनके सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी वह सम्बन्धित को धाति नहीं पहुँचायेंगे और पहि उपत प्राव्वकों हिं हा यन सम्बन्धित को कोई धाति पहुँचतों है अथवा पहुँचाई जातों है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वसाधिकारों द्वारा तदर्भ निधारित प्रतिकर जो अन्तिम निश्चेत्यम् तद्या विवास निम्मण विभाग पर वाध्यकारों होगी, तार्वजनिक निम्मण विभाग पर वाध्यकारों होगी, तार्वजनिक निम्मण विभाग विभाग स्थापित होगी।

ने प्राप्त

मैंनेर्माण खण्ड, लोंग्निग्वि**०** इडकोट ( उत्तरकाशी ) उदल भूमि तार्वजनिक निर्माण विभाग के उनसोग में तब तक बनी रहेगी कब कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को उनके भूमि अर्थवा उसके किलो भाग की शादायकता न रहेगों तो असारिधांत उन्त भूमि अर्थवा उसके भूमि का हैका भाग जो सर्वजनिक निर्माण विभाग के लिए आवश्यक न रहे हैं इन विभाग 3040 सरकार को किना किसो प्रतिबद के मुगलान के वापत हो जायेगा। वन विभाग तथा उतके अभिकतिशों को किसो भी समय जब से आवश्यक सम्बे प्रनगत भूषण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरोधण करने का अधिकार होगा

Sted Control of the State of th

कायत भूमि हरतान्तरण हे बाद को अरिधित /राधित वन भूमि वही रहेगी उसके वर्तगान वैथानित स्तर भे हो, परिवर्तन नहीं होगा।

वर्षकांक के निकाल प्रभाग गार्थ है हो यो योर एशारोपण बहुत्तीया । वर

तिष्कि होषण तथा पकरण विशेष के सम्बन्ध में १०३६ शत तथा कि कालेश - १७१ में अंकित है। ध्रतिपूर्ति द्वारिशेषण शार नादेश एल-६५३८ १५-३-627 ८ ८९ दिनांक 30-11-1989 के अनुसार सुनिधित कराया जाए।

188

धातिपूर्ति रोप वन का च्यय पैरां - में निधारित दर के अनुमार वन कूमि हस्तान्तरण के पूर्व वसून किया जायेगा । इस धनरावि से सम्बन्धित उप वन भरधक योजनानुसार धातिपूर्ति रोप वन करना सुनिधित करेंगे ।

89 8

वन क्षेत्र में पारियोजना कार्य कर रहे बजदूर तथा कर्मवारी अपनी ईधन को आवश्यकता के तिये वनों को हानि न वहुँवाये इसके लिए हार्वजनिक् निम्मण विभाग ईधन की लट्डी नि: बुल्क उपलब्ध करायेगा या ईधन को लड्डी की कोमत उनके वेतन या मनदूरों में है, कार्ट ली जायेगी ।

\$10.8

वन भूमि पर यहे वृधों का निस्तारण उत्तर प्रदेश वन निगम तरा छहें करवाया जायेगा । यदि किसो कारणवर्श सर्वजनिक निम्मण विभाग को करवाया जायेगा । यदि किसो सम्बन्धित वन संरधक द्वारा नियारिको खेड वृक्ष सौथे जाते हैं तो उसकान्न सम्बन्धित वन संरधक द्वारा नियारिको बाजार मूल्य पर भूगतान सर्वजनिक निम्मण विभाग से पाप्त किया जायेगा।

X1 1-8

भारत तरकार के पर्वतीय क्षेत्रों में तड़क निर्माप हेतु योजना आयोग दारा गांठत टास्क फोर्स की रिपोर्ट में दिए यह मार्ग निर्देशों जिसकी प्रति संसरन है, दा पालन किया नायेगा।

2- ४ यह आदेश प्रसिक्त समिति को विनांक 21.1.1990 को हुई वैठक में प्राप्त सहस्रति के अन्तर्गत बारी किये वा रहे हैं।

3- धः अदिश विदेश की अशानकीय रहिया : ए-2-75/इस-77/14

photogray Attasted

बहदीय,

Assistant Engineer / Cont. Div. P.W.D. Barkot

.70/= र ए 10 ं 10 विश्वास्त्र वास्त्र के विश्वास्त्र के विश्वास के विश्वस के विश्वास के विश्वास

तस्या:- एत- 113 %1 %/14-3-1990 त्रादनांत ।

प्रतिहास निम्मतिस्थित हो भूतेनाथ एवं आवश्यक राजिए हो देता प्रेजिन - हेर होतिस, भारत क्षण्डार, पर्यावरण एवं हम मैठानम् , इन ए पेन्स बन्तु,

्राच्यत आर्थभारी अभिग्ना ।

पर्वतीय विकास अनुभाग — 3

साच्यालय केंग्न लार्थकरिक रिकार्ग अनुभाग— 8

सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक
सम्बन्धित वन संरक्षक
सम्बन्धित वन संरक्षक
सम्बन्धित प्राणीय वनाधिकारी, ।

शाभा है,

हेंग्न हैं एम० सो० मिल्डियाल है

किसेंग्न सम्बन्धि विशेष स्थिव ।

तेन्द्र/ 12.5.90.

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०ति० - वहकोट ( एएइकाको १०)

13

100

**5**52

### FORM-I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collecor Uttarkashi.

Name of Project:- Construction for Light Vehicles of Barkot Tilari Motor

No. 60

Dated. 2/2/2815

### TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of india's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.553 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division P.W.D. Barkot in Uttarkashi District falls within jurisdiction of Nagar Panchayat Barkot village in Barkot

### It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has (a) been carried out for the entire 0.553 hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required (b) under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above

( Indudhar Baurai ) District Magistrate, Uttarkashi.

### ANNEXURE

## OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE DISTRICT Uttarkashi(U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Indudhar Baurai I.A.S.District Magistrate Uttarkashi on date 09-12-2014 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring 0.533 hect for the Construction Division P.W.D. Barkot of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Barkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi Dated: 2-1-2-1-5

> ( Indudhar Baurai ) District Magistrate-cum-Chairman District Level Committe Uttarkashi.

#### प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- अनपद उत्तरकाशी के विकासिका ने जा के के दिनि हत्या, बाद कार्न की बाद मार्ज में चरियमित करना देव उक्कीकरण का

### वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कार्न का तहसील काड़काट, जिला उत्तर काड़ी

उत्तरशखण्ड में जनपद उत्तरकाङी के अन्तर्गत्व के अन्तर्गत्व के किली इल्ला मेर्ट मार्ग कर सम्बंधित के के निर्माण हेतु (-9) - है० आरक्षित वन भूमि० 553 है० सिंविल सीयम भूमि ग्रानिहै०, वह पंद्रायत भूमि हैं। अर्थात कुलं 555हैं। वन भूमि का विकाग संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत निषद प्रथम किनी दिनांक 19:1-15 को सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्यम साम्रा द्वारा भर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्तांव पारित किया गया कि ग्राम नाम जिल्ला करका के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रधाणित किया जो सत्य एवं सही है।

जिस्सासी /अधिकारी

्र ह्याच कंचाचस वव्कीत

नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जावेगा।

### प्रपत्र-23.1

# दिनांक को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

## ग्राम पंचायते अकार प्रकाराम् अध्याप

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताहार
	501711EQ 2011	
	32100 1218	-7477(1)
3	जिस्मी क्राल,	21,321.01
L.	किस्ता किस्ट 2190	from 241K1C
	-tended total	
6-	हरदवापुर ने ने	J41
*7.	ह वन्द्राचीर चयाल	
J	27/5768	11/14/17 2 ==
	<u> </u>	- Washington
a.	अवगावर	3 TANK
I G		
11 -		3)40_
12-	3500163	
+3		जिंग्रे हेर्ताम ह
1 U -		13/142/202
150	का जिन्दि कि	
·		

ह0/- प्राप्त प्रधान

69

# परियोजना का नाम :- खड़कोर रिजारी हरका मेरिर मार्ग रुष्धारी करण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अडलोट अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, नुरकोट

उपखण्ड जिस्सी परिक्षेत्र के अन्तर्गत <u>अंडिकार किस्सी प्रोक्तर भावी किस्सी प्रोक्तर भावी किस्सी के अन्तर्गत किस्सी के प्रकार के वन भूमि का प्रचायत भूमि, अर्थात कुल उठ्ठ हैं। वन भूमि के प्रकार के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील अर्था) की दिनांक को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—</u>

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री कि क्रियाद्धः उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री टेट माने बादल उपजिलाधिकारी अध्यक्ष अध्यक्ष

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्राएम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

कंड कोट मिल्यारी हल्ला प्रोप्टर मार्रियोजनी हेतु हुई वन

———— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताय माननीय सदस्यों के सुमक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, विकार हारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(54)

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत कि वन भूमि 0.55.3. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ..... उट्टी रहिए। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अन्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-